भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमो पर सार्वजनिक सूचना

क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के.ज्ञ.सं.ऐवी.14017/61/2008 -ईस्ट (आर आर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संग्लन है ।

प्रारूप भर्ती नियमो पर आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमो के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री मनीष राज, अवर सचिव, , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं 306 - डी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110108 या ई-मेल पते : manish.raj@nic.in पर भेज सकते है।

(मनीष राज)
अवर सचिव, भारत सरकार,
टेलीफोन - 011 -23062868

नई दिल्ली
दिनांक: 01/07/2021

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

   परंतु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित ऊपरी आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के मामले में शिथिल की जा सकती है।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समितिहै, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन	प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम के रूप में होने के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम के रूप में होने के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री; या	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

			(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप मे हो और हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में होने के साथ, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; और (vi) हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल है, हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2: केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों की स्थिति में आमेलन किया जा सकता है।		